प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
शाहजहाँपुर।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 02-12-2022

विषय:- जिला कारागार, शाहजहाँपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बल सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह, निवासी ग्राम-गुरथना, थाना-कांट, जनपद-शाहजहाँपुर को पुत्री के उपचार हेतु पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-C-920/जि0प्रो0/बंदी/पैरोल/2022-23, दिनांक 14-07-2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973 (1974 का एक्ट संख्या-2) की धारा-432 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल जिला कारागार, शाहजहाँपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बल सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह, निवासी ग्राम-गुरथना, थाना-कांट, जनपद-शाहजहाँपुर को पुत्री के उपचार हेतु 01 माह का पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) पर कारागार से छोड़े जाने के आदेश इस प्रतिबन्ध के साथ देते हैं कि बंदी पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि में शान्ति बनाये रखने तथा अच्छे चाल-चलन रखने और पैरोल की अवधि समाप्त होने पर जेल में वापस आने के लिए आपकी संतुष्टि के अनुसार दो जमानतों सहित एक निजी मुचलका दाखिल करें तथा बंदी के विरूद्ध अन्य कोई मुकदमा किसी न्यायालय में विचाराधीन न हो, इसे सुनिश्चित कर लिया जाय तथा बंदी का जेल आचरण संतोषजनक हो। पैरोल की अवधि को बंदी द्वारा काटी गई सजा में जोड़ा नहीं जायेगा।

2- यदि बंदी पैरोल समाप्त होने पर नियत तिथि को हाजिर न हो तो बंदी तथा उनके जमानतदारों के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही की जाय। बंदी पैरोल की अवधि में अपने निवास स्थान के थाने में अपनी उपस्थिति की सूचना देता रहेगा।

3- बंदी को यह स्पष्ट कर दिया जाय कि यदि वह स्वीकृत पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि समाप्त होने पर निर्धारित दिनांक को जेल में वापस नहीं आता है, तो उसके विरूद्ध की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह भविष्य में एक निश्चित अवधि अथवा सदा के लिए परिहार तथा पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) पाने का अधिकारी न होगा।

4- यह आदेश जारी होने के दिनांक से छ: माह तक मान्य होगा।

5- कृपया इस आदेश की प्राप्ति की सूचना से शासन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर।

3- अधीक्षक, जिला कारागार, शाहजहाँपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बंदी के पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) पर रिहा किये जाने तथा बंदी के जेल में हाजिर होने की तिथि, शासन तथा महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को रेडियोग्राम द्वारा उसी दिन अथवा अगले दिन अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।